

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्रमांक 39 /दो-12-15/2006

कांकेर दिनांक 09.01.2012
10

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.01.2012 संध्या 5:00 तक

जिला स्थापना उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत रिक्त संविदा सिस्टम आफिसर एवं सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर अर्हता प्राप्त छलीमगढ़ के मूल निवासियों के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	वर्ग	रिमांक
01	संविदा सिस्टम आफिसर	01	अनारक्षित	11 माह की अवधि के लिए नियुक्त जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है
02	संविदा सिस्टम असिस्टेंट	01	अनारक्षित	

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

01. सिस्टम आफिसर (कुल पद 01) संविदा मासिक वेतन 11,100 प्रतिमाह/- :-

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- B.E./B.Tech./MCA in Computer Science / Engineering of Information Technology OR Master Degree in Physics/ Maths/ Statistics/ Operations Research with first Class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade with post Graduate Diploma in Computer Science / Applications or master degree in Computer Science / Information Technology with firsts Class or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade OR B.Sc. (Computer Science or IT) / BCA / BSC in Physics / Maths/ Statistics / Operations Research / Computer Science with either Post Graduate Diploma in Computer Science / Computer Applications (from a Government recognized University / Institution) with two years working experience.

02. सिस्टम असिस्टेंट (कुल पद 01) संविदा मासिक वेतन 6800/- प्रतिमाह :-

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- Government recognized Diploma in ITI of equivalent after 10th Statnder.

आयु

ऐसे आवेदक जिनकी आयु दिनांक 01.01.2012 को 30 वर्ष से कम हो वे ही आवेदन करने के पात्र रहेंगे ।

महत्वपूर्ण :-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।

आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है परन्तु जिला उत्तर बस्तर कांकेर के निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

01. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2012 की संध्या 5:00 बजे तक बंद लिफाफा में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं । दिनांक 31.01.2012 के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है ।
02. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल/ हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।
03. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे प्रत्येक पर 5/- रुपये की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें ।

चयन प्रक्रिया :-

01. 100 से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कांकेर द्वारा आयोजित की जावेगी जिसमें वस्तुतः निष्ठ प्रकार के सामान्य ज्ञान एवं कम्प्यूटर से संबंधित जानकारी के आधार पर वस्तुतः निष्ठ प्रश्नों जिसमें दिये गये चार विकल्प में से केवल एक विकल्प सही होगा नियमों के अन्तर्गत कुल 02 घंटे की होगी मंचालित की जावेगी । प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी । प्रत्येक प्रश्नों के लिए 01 अंक निर्धारित होंगे । गलत उत्तरों के लिए माईनस मार्किंग नहीं होगी । चारों विकल्प में से किसी एक ही विकल्प को सही मार्क करना होगा । दो या अधिक विकल्प पर मार्क करने पर उस प्रश्न को गलत माना जावेगा एवं उसकी गणना नहीं की जावेगी ।

02. इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को तकनीकी ज्ञान परीक्षा लेने के लिए उन्हें फरवरी माह के किसी अवकाश दिवस में निर्धारित तिथि को महिला आई.टी.आई., कांकेर बुलाया जावेगा जहां उनका तकनीकी ज्ञान परीक्षा लिया जावेगा जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर के माध्यम से भेजी जावेगी ।
03. तकनीकी ज्ञान (प्रायोगिक) परीक्षा का विस्तृत विवरण लिखित परीक्षा के दिन समस्त परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा दिया जावेगा ।
04. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) एवं तकनीकी ज्ञान (प्रायोगिक) परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी जिसके संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
05. लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को अपने समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति सहित उनकी सत्यापित छायाप्रति लाना आवश्यक होगा ।

अन्य आवश्यक सूचनाएं

जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी । जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जाएंगे, उन्हें लिखित परीक्षा तथा प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु सूचना पत्र उनके द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किये गये डाक लिफाफा के माध्यम से जारी किये जाएंगे । उपयुक्त पाये गये तथा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की पृथक-पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर यथाशीघ्र चस्पा कर दी जाएगी । जिन उपयुक्त आवेदकों को परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे परीक्षा तिथि को निर्धारित समय के पूर्व अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण सहित उपस्थित हो सकेंगे । परीक्षण उपरांत उनकी उम्मीदवारी यदि सही पाई गई तो उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी ।

प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर यथाशीघ्र लिखित परीक्षा तिथि के पूर्व तक उपर वर्णित योग्यतानुसार सक्षम पाये गये उम्मीदवारों की सूची जिला न्यायालय कांकेर के सूचना पटल पर कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित रहना होगा । उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा । अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी ।

(एम. कातुलकर) 12

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उत्तर बस्तर कांकेर

सिस्टम आफिसर एवं सिस्टम असिस्टेंट के संविदा पद हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले

:: आवेदन पत्र का प्रारूप ::

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

पासपोर्ट साइज का
स्व हस्ताक्षरित
नवीनतम फोटो
बसा करे ।

- (1) आवेदित पद का नाम :-
- (2) आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी में) (केपिटल अक्षरों में) :-
- (3) लिंग पुरुष/ महिला :-
- (4) पिता/पति का नाम :-
- (5) (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :-
- (पिन कोड सहित)
- (ब) स्थायी पता :-
- (पिन कोड सहित)
- (6) जन्म तिथि :-दिनों..... माह..... वर्ष.....
- (7) दिनोंक 01-01-2012 को आयु :-वर्ष..... माह..... दिन.....

//2//

//2//

(8) शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता का विवरण :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	श्रेणी	प्राप्तांक/पूर्णांक
01	02	03	04	05	06

(9) अनुभव आदि हो तो उल्लेख करें :-.....

(10) क्या आपके विरुद्ध कोई दण्डित प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान, विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है ? यदि हाँ तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से अनिवार्य उल्लेखित करें :-.....

(11) संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची :-

01. 02.
03. 04.
05. 06.
07. 08.

:: घोषणा पत्र ::

मैं पिता/पति निवासी

घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ये झूठे पाये जाते ह, तो मेरी उम्मीद / नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर